मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1984

(1984 का अधिनियम संख्यांक 33)

[23 मई, 1984]

लोक हित में राष्ट्र की पोत परिवहन आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने की दृष्टि से मुगल लाइन लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1984 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) "कंपनी" से मुगल लाइन लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 16, एन०जी०एन० वैद्य मार्ग (बैंक स्ट्रीट), मुम्बई में है ;

(ग) "शेयर" से कम्पनी की पूंजी में शेयर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शेयर धारक द्वारा किसी बैंक या अन्य लेनदार के पास गिरवी रखा गया शेयर है;

(घ) "शेयर धारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी द्वारा किसी शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था और इसके अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि भी है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. कम्पनी के कुछ शेयरों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होना—(1) नियत दिन को कम्पनी के सभी शेयर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित नहीं हैं, इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार के बारे में नियत दिन से ही यह समझा जाएगा कि वह कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक शेयर के धारक के रूप में दर्ज कर ली गई है जो उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर उसको अन्तरित और उसमें निहित हो गया है ।

(3) सभी शेयर, जो उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, ऐसे निहित होने के बल पर सभी न्यासों, दायित्वों, बाध्यताओं, बंधकों, भारों, धारणाधिकारों और उन्हें प्रभावित करने वाले अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगे और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की ऐसी किसी कुर्की, व्यादेश या कोई डिक्री या आदेश को, जो ऐसे शेयरों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करे, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध—

(क) कम्पनी के ऐसे किसी अधिकार को, जो किसी शेयर धारक से इस आधार पर कि शेयर धारक ने उसके द्वारा धारित शेयरों का सम्पूर्ण मूल्य या उसका कोई भाग कम्पनी को संदत्त नहीं किया है या उसके नाम में जमा नहीं किया है या किसी अन्य आधार पर कोई धनराशि वसूल करने के लिए ऐसे शेयर धारक के विरुद्ध, नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है ;

(ख) शेयर धारक के ऐसे किसी अधिकार को, जो कम्पनी से शोध्य कोई लाभांश या अन्य संदाय प्राप्त करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है,

प्रभावित करने वाले नहीं समझे जाएंगे ।

4. कम्पनी का प्रबन्ध—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को ऐसी सरकारी कम्पनी के रूप में, जिसमें सम्पूर्ण शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित की जाती है, कार्य करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्ध (जिसमें कम्पनी के ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में संशोधन सम्मिलित है), जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगी और इस प्रकार किए गए उपबन्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

5. रकमों का संदाय—(1) प्रत्येक शेयर धारक को, जिसके कंपनी की पूंजी में शेयर धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो गए हैं, ऐसे अन्तरण और निहित होने के लिए उस सरकार द्वारा नकद और धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से दस रुपए प्रति शेयर की दर से संगणित रकम दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शेयर धारक को संदेय रकम पर, नियत दिन से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर धारक को किया जाता है या जहां ऐसी रकम धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन जमा कर दी गई है, वहां उस तारीख को, जिसको वह इस प्रकार जमा की गई है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए साढ़े पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज दिया जाएगा ।

6. रकमों के संदाय की रीति—(1) धारा 5 के उपबंधों के अनुसार किसी शेयर धारक को संदेय रकमें उसको नकद दी जाएंगी जिनका संदाय भारतीय रिजर्व बैंक पर लिखे गए चैक द्वारा किया जाएगा ।

(2) कोई शेयर धारक अपने को संदेय रकमों के संदाय के लिए केन्द्रीय को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो, संदाय करेगी ।

(4) यदि किसी शेयर के संबंध में संदेय रकम प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार उस रकम को संदत्त किए जाने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने के लिए आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, जमा कर देगी ।

7. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

8. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———